

प्रेषक,

राजीव कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 31 दिसम्बर, 2015

विषय:-उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली-1979 के नियमों का अनुपालन।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-25/89/2000-का-4-2002, दिनांक 12.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-1-ई.एम./2006-का-4-2009, दिनांक 16 जनवरी, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से राज्य कर्मचारी समुदाय के केवल मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों/महासंघों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर ही विचार करने तथा उन्हीं के प्रतिनिधियों को आवश्यकतानुसार विचार-विमर्श एवं वार्ता हेतु आमंत्रित करने के दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त शासनादेशों की व्यवस्था का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति शासन की नीति के अनुकूल नहीं है।

2. उपर्युक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भित शासनादेश दिनांक 12.11.2002 तथा दिनांक 16.01.2009 की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजीव कुमार  
प्रमुख सचिव

संख्या-1-ई.एम./2006(1)-का-4-2005, तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

रघुनाथ सिंह परिहार  
संयुक्त सचिव